कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)
दिनॉक // लखनऊ // अक्टूबर, 12, 2011

1- **समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।**
2- **समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।**

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-विधि-4(1)परिपत्र भाग-3/2011-12 / 830/1112055 / वाणिज्य कर दिनॉक 09-09-2011 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा वाणिज्य कर विभाग की शासकीय वेबसाइट पर प्रस्तुत किये जाने वाले रिटर्नो के डिजिटल हस्ताक्षर से भिन्न माध्यम से अधिप्रमाणन (Authentication) के लिये उत्तर प्रदेश वैट नियमावली के नियम-45 के उप नियम-(12-A)(b) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आवश्यक व्यवस्था निर्धारित की गयी है एवं साथ ही व्यापारियों को केन्द्रीय बिक्रीकर(पंजीयन एवं आवर्त) नियमावली-1957 में निर्धारित फार्म-सी आन लाइन जारी करने के लिये उनके यूजर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है । इस व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु कार्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सन्दर्भ में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

(I) सन्दर्भित आदेश दिनॉक 09-09-2011 के प्रस्तर (iv) में उल्लिखित है कि Password हेतु आन लाइन प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र में अंकित तथ्य यदि पूर्ण व सही हैं तो उन व्यापारियों, जो केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही हैं, के मामले में Password स्वत: सृजित होकर प्रार्थना पत्र में दिये गये e-mail पते पर चला जायेगा । जिन मामलों में आवेदन पत्र में अंकित तथ्य विभागीय सर्वर में उपलब्ध आंकड़ो से मेल नही खाते हैं, ऐसे मामलों में व्यापारी को Password नही जारी होगा वरन् आवेदन पत्र Submit करते ही error की सूचना स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी । व्यापारी को इस error को दूर करते हुये पुन: आवेदन पत्र Submit करना होगा परन्तु यदि पंजीयन प्रार्थना पत्र में अंकित विवरणों में परिवर्तन हो जाने के कारण उक्त error आयी है तो व्यापारी को पहले धारा-75(i) में आवेदन करते हुए इन विवरणों को संशोधित करना होगा ।

कर निर्धारण अधिकारी धारा-75(i) के ऐसे मामलों का शीघ्रता से यथा संभव तीन दिन के अन्दर निस्तारण करेगें एवं संशोधन को पूर्व निर्धारित प्रक्रिया से वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें ।

(II) जिन मामलों में व्यापारी केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-7(2) मे पंजीकृत हैं उन मामलों में व्यापारी द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट प्राप्त होने पर करनिर्धारण अधिकारी द्वारा यह देखा जायगा कि व्यापारी केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अर्न्तगत पंजीकृत है अथवा नही तथा आवेदन पत्र में कोई ऐसी वस्तु तो सम्मिलित नही है जिसको उसके केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में सम्मिलित नही की जा सकती । यदि आवेदन पत्र में ऐसी कोई वस्तु सम्मिलित पायी जाती है तो उसे अस्वीकार करने के लिये व्यापारी को केन्द्रीय बिक्रीकर (पंजीयन एवं आवर्त) नियमावली के नियम-7 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी की जायेगी एवं व्यापारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुये सम्बन्धित वस्तु को पंजीयन प्रमाण पत्र में सम्मिलित करने या न करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा । यह कार्यवाही यथा सम्भव एक सप्ताह के अन्दर पूरी कर ली जायेगी ।

उक्त के अतिरिक्त आवेदन पत्र की जॉच इस दृष्टि से भी की जायेगी कि व्यापारी द्वारा वस्तुओं के जो विवरण अंकित किए गये है उनकी Spelling आदि सही है तथा उनसे कोई सार्थक अर्थ निकलता है अथवा नही । यदि इस हेतु वस्तुओं के अंकित विवरण में कोई संशोधन आवश्यक है तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे भी किया जायेगा ।

उक्त सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी को व्यापारी के केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र से यह सत्यापित करने की आवश्यकता नही है कि आवेदन पत्र में अंकित वस्तुयें पंजीयन प्रमाण पत्र में

कृपया पृष्ठ-2 पर

अंकित वस्तुओं के अनुसार हैं अथवा नही क्योंकि यदि इनमें कोई अन्तर है तो यह स्वत: माना जायेगा कि व्यापारी आगे से आवेदन पत्र में अंकित वस्तुओं को ही पंजीयन प्रमाण पत्र में बनाये रखना चाहता है और ऐसी दशा में व्यापारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को केन्द्रीय बिक्रीकर (पंजीयन एवं आवर्त) नियमावली के नियम-7(i) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी माना जायेगा।

(III) विभाग द्वारा जारी Password के माध्यम से दाखिल किये गये ई-रिटर्न की रसीद (acknowledgement) हस्ताक्षरोपरान्त कार्यालय में जमा करने के लिए प्रत्येक व्यापारी सुविधा केन्द्र में एक Drop Box रखवाया जायेगा तथा जो व्यापारी काउन्टर पर acknowledgement जमा करके इसकी प्राप्ति रसीद नहीं लेना चाहते हैं, वह हस्ताक्षरित acknowledgement इस Drop Box में डाल देंगे।

इस Drop Box से प्रतिदिन सायं acknowledgement को निकालकर इनकी ई-रिटर्न की हार्डकापी के माड्यूल में रसीदें जारी की जायेंगी तथा इन रसीदों के रिमार्क कालम में **'AD'** अंकित किया जायेगा। साथ ही इन्हे खण्डवार छॉटकर सूची सहित अगले दिन सम्बन्धित खण्ड में प्राप्त करा दिया जायेगा जहॉ सम्बन्धित खातापालक इसे व्यापारी की पत्रावली में रखने की कार्यवाही करेंगे । यही प्रक्रिया डाक या कुरियर के माध्यम से प्राप्त acknowledgement के सम्बन्ध में भी अपनायी जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(फामर्स्)वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

(एम0के0 सिंह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।